

स्पीड पोस्ट

संख्या-6/एफ1-303/2019 प्र0सं0-

5164

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

धर्मेन्द्र सिंह,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कटिहार/समस्तीपुर/सहरसा।
उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/पटना।
सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ मुख्यालय, कटिहार/सहरसा।
श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01

पटना, दिनांक-31-12-19

विषय:- राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 8479, 8481 एवं 8482 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 8479, 8481 एवं 8482 में राशि किस पत्र के आलोक में निर्गत की गयी है, का उल्लेख संभव नहीं है।

1. CFMS Order No.- 8479 से आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

i) सामान्य एवं अन्य जाति के बाल श्रमिकों के लिए- ₹ 3,000/-की दर से-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की संख्या	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग	अभ्युक्ति
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से ₹ 2300/-राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु- ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/ पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/ नास्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक श्रमायुक्त सहरसा	3	8400	300	300	9000	श्रम अधीक्षक मधेपुरा के पत्रांक-270 दिनांक-03.09.19 के आलोक में
		13	36400	1300	1300	39000	श्रम अधीक्षक सुपौल के पत्रांक-226 दिनांक-20.07.19 के आलोक में

2	उप श्रमायुक्त, पटना	5	14000	500	500	15000	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-2617 दिनांक-06.09.19 के आलोक में
		9	25200	900	900	27000	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-2618 दिनांक-06.09.19 के आलोक में
3	सहायक श्रमायुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल कटिहार	27	75600	2700	2700	81000	श्रम अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक-661 दिनांक-24.7.19 के आलोक में।
4	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	37	103600	3700	3700	111000	श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1021 दिनांक-30.05.19 के आलोक में।
कुल योग		94	263200	9400	9400	282000	

कुल आवंटित राशि ₹ 2,82,000/- (₹ दो लाख बयासी हजार) मात्र।

ii) सामान्य एवं अन्य जाति के बाल श्रमिकों के लिए- ₹ 1,800/-की दर से-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	21-सामग्री और आपूर्ति	
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103. 21.01) से ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 300/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	उप श्रमायुक्त, पटना	6	10800	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-2618 दि.-06.09.19 के आलोक में।
2	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	11	19800	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1021 दि.-30.05.19 के आलोक में।
3	सहायक श्रमायुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल	21	37800	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01 के पत्रांक-633 दि.-18.10.19 के आलोक में।
कुल योग		38	68400	

कुल आवंटित राशि ₹ 68,400/- (₹ अड़सठ हजार चार सौ) मात्र।

iii) सामान्य एवं अन्य जाति के बाल श्रमिकों के लिए-जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वासि-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से -

क्र०सं०	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदा- धिकारी का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0103.37.01 अनुग्रह अनुदान	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	2	10000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-885 दिनांक-17.10.19 के आलोक में ।
2	तदैव	कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	13	65000	श्रम अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक-772 दिनांक-22.8.19 के आलोक में ।
3	तदैव	पूर्णियाँ	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	21	105000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01 के पत्रांक-633 दि. -18.10.19 के आलोक में ।
कुल योग				36	270000	

कुल आवंटित राशि ₹ 1,80,000/- (₹ एक लाख अस्सी हजार) मात्र ।

2. CFMS Order No.- 8481 से आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

i) अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों के लिए- ₹ 3,000/-की दर से-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की संख्या	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग	अभ्युक्ति
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्णियाँ (0104.21.01) से ₹ 2300/-राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0104.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु- ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/ पथ्य (0104.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/ नास्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	उप श्रमायुक्त, पटना	1	2800	100	100	3000	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-2617 दिनांक-06.09.19 के आलोक में
		13	36400	1300	1300	39000	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-2618 दिनांक-06.09.19 के आलोक में
3	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	32	89600	3200	3200	96000	श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1021 दिनांक-30.05.19 के आलोक में
कुल योग		46	128800	4600	4600	138000	

कुल आवंटित राशि ₹ 1,38,000/- (₹ एक लाख अड़तीस हजार) मात्र ।

ii) अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों के लिए- ₹ 1,800/-की दर से-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	21-सामग्री और आपूर्ति	अभ्युक्ति
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0104. 21.01) से ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 300/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	
1	2	3	4	5
1	उप श्रमायुक्त, पटना	4	7200	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-2618 दि.-06.09.19 के आलोक में ।
2	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	7	12600	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1021 दि.-30.05.19 के आलोक में ।
	कुल योग	11	19800	

कुल आवंटित राशि ₹ 19,800/- (₹ उन्नीस हजार आठ सौ) मात्र ।

iii) सामान्य एवं अन्य जाति के बाल श्रमिकों के लिए-जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से -

क्र०सं०	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0104.37. 01 अनुग्रह अनुदान	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	5	25000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-885 दिनांक-17.10.19 के आलोक में ।
2	तदैव	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	2	10000	श्रम अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक-770 दिनांक-06.09.19 के आलोक में
3	तदैव	कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	2	10000	श्रम अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक-772 दिनांक-22.8.19 के आलोक में ।
	कुल योग			9	45000	

कुल आवंटित राशि ₹ 45,000/- (₹ पैतालिस हजार) मात्र ।

3. CFMS Order No.- 8482 से आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

अनुसूचित जनजाति के बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से -

क्र०सं०	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदा-धिकारी का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0102.37.01 अनुग्रह अनुदान	कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	2	10000	श्रम अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक-772 दिनांक-22.8.19 के आलोक में।
कुल योग				2	10000	

कुल आवंटित राशि ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2284 दिनांक-29.05.19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में 31 मार्च 2020 तक व्यय के निमित्त आवंटित की गयी है।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर किया जाय। आवंटित राशि को उन्ही विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदान/लाभांशित किया जाय जिन्हें पूर्व में यह राशि प्रदान नहीं की गयी है।
6. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,



श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/19 श्र0सं0-


5164

पटना, दिनांक

31-12-19

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /संयुक्त श्रमायुक्त-01को उनके गै.सं.प्रे.सं.-398 (श्रम पक्ष) दिनांक-12.12.19, गै.सं.प्रे.सं.-348 (श्रम पक्ष) दिनांक-06.11.19 एवं गै.सं.प्रे.सं.-374 (श्रम पक्ष) दिनांक-28.11.19 के आलोक में/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु /बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।



श्रमायुक्त, बिहार।